रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 13, 1986/माघ 24, 1907
No. 40] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 13, 1986/MAGHA 24, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1986

शुद्धि-पत्र

संख्या 13018/10/85-अ. भा. से. (1) :—भारत सरकार के असाधारण राजपत्र के भाग 1 खण्ड 1 में दिनांक 7 दिसम्बर, 1985 को प्रकाशित इस विभाग की दिनांक 7 दिसम्बर, 1985 की अधिसूचना संख्या 13018/10/85-अ.भा. से. (1) में परिशिष्ट-1 के खण्ड 2 के भाग ख मुख्य परीक्षा के पैरा 1 में, पृष्ठ

संख्या 84 पर, विद्यमान टिप्पणी (2) के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी (3) जोड़ी जाएगी :—

"टिप्पणी (3) हालांकि भारतीय भाषाओं से संबंधित प्रश्न पत्र-1, उत्तर पूर्वी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों—अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैण्ड के उम्मीदवारों तथा साथ ही साथ सिक्किम राज्यके उम्मीदवारों के लिए भी अनिवार्य क्वनेंी होगा ।"

2. विद्यमान टिप्पणी (3) को "टिप्पणी (4)" बना दिया जाएगा ।

बाबू जैकब, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 13th February, 1986

ADDENDUM

No. 13018|10|85-AIS(I).—In this Department's Notification No. 13018|10|85-AIS(I) dated 7th December, 1985, published in Part I Section 1 of the Gazette of India Extraordinary dated 7th December, 1985, the following Note (iii) shall be added at page 84 below existing note (ii) in para I of Part B. Main Examination of Section II of Appendix I :

"Note (iii) The paper I on Indian Languages will not, however, be compulsory for candidates hailing from North Eastern States|Union Territories of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram and Nagaland and also for candidates hailing from the State of Sikkim."

2. The existing Note (iii) shall be renumbered as 'note (iv)'.

BABU JACOB, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986